

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गा. एवं गुण./प्रस्ताव/2022-23/257

दिनांक: 22/11/2022

संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा,  
कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा  
बारां/बीकानेर/राजसमन्द/जैसलमेर।

विषय :- 12 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में  
रूपान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- राज्य सरकार के पत्रांक: प.04(15)शिक्षा-1/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक: 14.11.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 की  
बजट घोषणा संख्या 37 अन्तर्गत निम्नानुसार 12 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय  
(अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किये जाने की शर्ताधीन स्वीकृति एतद्  
द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	यू डीईस कोड
1	बारां	शाहाबाद	किशनगंज	देवरी	राउमावि देवरी	8310701415
2	बारां	शाहाबाद	किशनगंज	शाहाबाद	राउमावि शाहाबाद	8310702615
3	बारां	अन्ता	अन्ता	बड़वा	राबाउप्रावि बड़वा	8310212702
4	बारां	अन्ता	अन्ता	मिर्जापुर	राउमावि मिर्जापुर	8310209502
5	बारां	बारां	अन्ता	बामला	राउमावि बामला	8310103703
6	बारां	किशनगंज	किशनगंज	जलवाडा	राबाउप्रावि जलवाडा	8310602603
7	बीकानेर	कोलायत	कोलायत	अक्खासर	राप्रावि अक्खासर	8090915804
8	राजसमन्द	भीम	भीम	बार	राउप्रावि हिरा का बाड़िया	8250102401
9	राजसमन्द	भीम	भीम	बरजाल	राउप्रावि भैरागुडा	8250111601
10	राजसमन्द	भीम	भीम	लगेतखेड़ा	राप्रावि पीपली का बाड़िया	8250101301
11	राजसमन्द	भीम	भीम	कालादेह	राउप्रावि आमनेर	8250105905
12	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	बडोरा गांव	राप्रावि बडोडा गांव (514037)	8160103705

शर्त:-

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये गए उक्त विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारम्भ किया जायेगा।
2. उक्त रूपान्तरित विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 1-5 तक की कक्षाओं को ही अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जायेगा एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6-8 एवं तत्पश्चात् पूर्व में जारी निर्देश दिनांक: 14.06.2019 के अनुसार कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
3. रूपान्तरण से पूर्व विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा का संचालन किया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरण के पश्चात् भी उक्त विद्यालयों में उसी तृतीय भाषा का संचालन किया जायेगा।
4. रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालयों का नाम, क्षेत्र स्तर, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिले के नाम की जांच करते हुए ही आदेश जारी किये जावें।

(गौरव अग्रवाल)

आइ ए एन  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
9. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. सयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
13. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. उप निदेशक, योजना अनुभाग, कार्यालय हाजा।
16. उप निदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (संबंधित जिला)।
18. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित जिला)।
19. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (संबंधित जिला)।
20. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (संबंधित ब्लॉक)।
21. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख कि शाला दर्पण पोर्टल पर उक्तानुसार विद्यालय को अद्यतन करवाने की यथाशीघ्र कार्यवाही संपाद करावें।
23. सहायक निदेशक, माध्यमिक/योजना अनुभाग, कार्यालय हाजा।
24. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
25. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 04(15)शिक्षा-1/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14.11.2022

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- 12 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 37 अन्तर्गत संलग्न सूचीनुसार 12 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किये जाने की शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102206087 दिनांक 07.11.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्तें :-

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये गए उक्त विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारम्भ किया जायेगा।
2. उक्त रूपान्तरित विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2023-24 में कक्षा 1-5 तक की कक्षाओं को ही अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जायेगा एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6-8 एवं तत्पश्चात पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 14.06.2019 के अनुसार कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
3. रूपान्तरण से पूर्व विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा का संचालन किया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरण के पश्चात भी उक्त विद्यालयों में उसी तृतीय भाषा का संचालन किया जायेगा।
4. रूपान्तरित विद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों को बिना साक्षात्कार के सीधा ही पदस्थापन से भरा जायेगा।
5. इन विद्यालयों में आवश्यक अतिरिक्त पदों की पूर्ति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों एवं अन्य विद्यालयों से वर्तमान स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अन्तर्गत ही की जायेगी। पदों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त पदों हेतु पृथक से विद्यालयवार प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालयों का नाम, क्षेत्र स्तर, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिले के नाम की जांच करते हुए ही आदेश जारी करावें।

भवदीय,


  
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
8. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
10. संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2, 5, 6) विभाग।
11. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
12. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग।
13. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
14. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
15. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
16. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर।
17. उपनिदेशक, योजना/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
18. उपनिदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (गुप-1) विभाग।
19. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, बारां/बीकानेर/राजसमन्द/जैसलमेर।
20. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक), बारां/बीकानेर/राजसमन्द/जैसलमेर।
21. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बारां/बीकानेर/राजसमन्द/जैसलमेर।
22. नोडल अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालयों को अपलोड करवाने की सुनिश्चितता करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

  
14.11.24  
(डॉ. रणवीर सिंह)  
विशेषाधिकारी-शिक्षा



255

## 12 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालयों की सूची

प. 04(15)शिक्षा-1/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14.11.2022

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	यू ड्राईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	बारां	शाहाबाद	किशनगंज	देवरी	राउमावि देवरी	8310701415
2	बारां	शाहाबाद	किशनगंज	शाहाबाद	राउमावि शाहाबाद	8310702615
3	बारां	अन्ता	अन्ता	बड़वा	राबाउप्रावि बड़वा	8310212702
4	बारां	अन्ता	अन्ता	मिर्जापुर	राउमावि मिर्जापुर	8310209502
5	बारां	बारां	अन्ता	बामला	राउमावि बामला	8310103703
6	बारां	किशनगंज	किशनगंज	जलवाडा	राबाउप्रावि जलवाडा	8310602603
7	बीकानेर	कोलायत	कोलायत	अक्खासर	राप्रावि अक्खासर	8090915804
8	राजसमन्द	भीम	भीम	बार	राउप्रावि. हिरा का बाडिया	8250102401
9	राजसमन्द	भीम	भीम	बरजाल	राउप्रावि. भैरागुडा	8250111601
10	राजसमन्द	भीम	भीम	लगेतखेडा	राप्रावि पीपली का बाडिया	8250101301
11	राजसमन्द	भीम	भीम	कालादेह	राउप्रावि. आमनेर	8250105905
12	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	बडोरा गांव	राप्रावि बडोडा गांव (514037)	8160103705

मास्टर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

256

क्रमांक प 4(6) शिक्षा 1/2022

जयपुर, दिनांक 14.11.2022

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

विषय - चुनाव आचार संहिता से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विभागीय आदेश के राखध में।  
प्रसंग - विभाग का समराख्यक स्वीकृति दिनांक 14.11.2022 एव स्वीकृति क्रमांक 4(15)शिक्षा-1, 2021 पाठ दिनांक 14.11.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत पारामिक स्वीकृतियों के अनुसरण में लेख है कि विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों में से चुनाव के कारण आचार संहिता से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विद्यालयों के आदेश आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात ही जारी करावें।

भवदीय,  
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
8. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
10. संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
11. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
12. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग।
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
14. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
15. उपनिदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
16. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
17. नोडल अधिकारी शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन करवाने की सुनिश्चितता करावें।
18. रक्षित पत्रावली।

14.11.22  
(डॉ. रणवीर सिंह)  
विशेषाधिकारी-शिक्षा